न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–67/2014–15

नीरा देवी बनाम शत्रुधन प्रसाद वगैरह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	आदेश यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0–01/2013–14 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा दिनांक–24.10.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। **इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है।** **प्रथम पक्ष** नीरा देवी, पति उदय सिंह, पुत्री स्व0 हरीद्वार सिंह, ग्राम–पैनाल, पो0–पैनाल, थाना–बिहटा, जिला–पटना। **द्वितीय पक्ष** 1. शत्रुधन सिंह 2. सुदामा सिंह, दोनों पिता स्व0 इन्द्रदेव सिंह, दोनों ग्राम–धर्मपुर करवा, पो0–लाला भंसारा, थाना–दुल्हिनबाजार, जिला–पटना, वर्तमान मोहल्ला–बिबिगंज दलवार रोड, मकान सं0 677, वार्ड नं0 18, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–दानापुर, जिला–पटना अभिलेख अवलोकन किया। दिनांक–21.02.2015 आवेदक के अधिवक्ता को वाद प्रतिग्रहित के बिन्दु पर सुनकर प्रतिग्रहण किया गया। साथ हीं कालबाधित के बिन्दु पर सुनकर क्षांत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख मांग की गई। पक्षकार को सूचना निर्गत करते हुए अगली तिथि 01.04.2015 निर्धारित की गई। दिनांक–01.04.2015 को विपक्षी द्वारा वकालतनामा सहित आवेदन दाखिल किया। दिनांक–09.05.2015 को विपक्षी द्वारा प्रत्युत्तर दिया गया। दिनांक–06.03.2019 को आवेदिका द्वारा प्रश्नगत वाद को वापस लेते हुए खारिज करने का अनुरोध किया है। क्योंकि उनका कथन है कि अवर न्यायाधीश, पालीगंज के न्यायालय में दो स्वत्व वाद क्रमशः स्वत्व वाद सं0–16/17 एवं स्वत्व वाद सं0 20/18 संचालनाधीन है। इसलिए आवेदिका द्वारा दाखिल वाद वापसी सम्बन्धी आवेदक को स्वीकृत करते हुए, बिना गुण–दोष के दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद को समाप्त किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित।** 15/3/19 (राजीव कुमार श्रीवास्तव) अपर समाहर्ता, पटना। 15/3/19 (राजीव कुमार श्रीवास्तव) अपर समाहर्ता, पटना।	